

निगम लिमिटेड की ओर से व्यवसायिक वाहन उपलब्ध कराने हेतु मुहरबंद निविदाय आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधी विस्तृत ब्यौरा कार्यालयीन समय में मंडल अभियंता प्रशासन सी.टी.एक्स. कम्पाउन्ड सुल्तानिया रोड डब्ल्यू.टी. आर. भोपाल से प्राप्त की जा सकती है। निविदा संबंधी दस्तावेज भा.सं.नि. लिमिटेड की वेबसाइट <http://www.tenderwizard.com/BSNL> & <http://wtr.bsnl.co.in> से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

मंडल अभियंता, प्रशासन पश्चिमी दूरसंचार क्षेत्र, भोपाल (म.प्र.) मो. 9425001014

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

प्रथम तल, खण्ड-घ विन्ध्याचल भवन, भोपाल

सहायक पंजीयक कार्यालयों द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

1973 की धारा 29 के तहत शासी निकाय की प्रतिलिपि के संबंध में

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत समितियों द्वारा संबंधित सहायक पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं, कार्यालय में उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत शासी निकाय की सूची प्रस्तुत की जाती है तथा उसकी प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत आवेदन किया जाता है। कार्यालयों द्वारा धारा 29 के तहत जारी शासी निकाय की प्रतिलिपि संस्था के पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है। अधिनियम की धारा 27 में शासी निकाय की वैधानिकता सहायक पंजीयक द्वारा प्रमाणित करने का प्रावधान नहीं है। अतः धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची हेतु प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं ही उत्तरदायी है।

रजिस्ट्रार,

जी-21094/17

फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

आतम निष्पादन करना अनुमानित राशि:

Rs. 89,84,234.3 धरोहर राशि: Rs.

1,79,690.00 टेन्डर फार्म का बिल मूल्य:

Rs. 5,000.00 कार्य की अवधि: 1095

दिन। निविदा दस्तावेज रेलवे वेब साईट

<http://www.IREPS.gov.in> (E-Tender)

Details में भी देखी जा सकती है, तथा

निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है

डाउनलोड फार्म के साथ निविदाफार्म एवं

धरोहर राशि ऑन लाइन जमा करनी होगी

(जो कि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक प.म.रे.

भोपाल के पक्ष में देय हो)। इसमें अंतिम

निर्णय एवं सर्वाधिकार मुख्य चिकित्सा

अधीक्षक पश्चिम मध्य रेल भोपाल के पास

सुरक्षित रहेगा। उक्त वेबसाइट के अलावा

निविदा संबंधित जानकारी कार्यालयीन दिवस

एवं समय पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पमरे

भोपाल के अधीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक

कार्यालय से उपरोक्त दिनांक में प्राप्त की

जा सकती है।

CMS/BPL

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री

नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें।

1. प्रतिलिपि

2. पैन कार्ड (PAN CARD) की प्रतिलिपि

3. स्थानीय पुलिस थाने द्वारा जारी किया

खुलने की दिनांक से एक साल के अंदर

(5) सफल कोटेशन दाता को कार्य स्वीकृति

आदेशानुसार तीन माह की अनुज्ञा शुल्क तथा

अग्रिम जमा करवाकर, कार्य प्रारंभ करना होगा

(Taxes) भी आवश्यक रूप से जमा कराने

जायेगी। (6) सरकार द्वारा निर्धारित दर

जो Cash/ DD के माध्यम से संबंधित रेलवे

रेलवे के नियमानुसार/आदेशानुसार कार्य

अनियमितता/शिकायत पर नियमानुसार

उनकी बयाना राशि वापस कर दी जायेगी।

www.wr.indianrailways.gov.in पर

नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। (10) कोटेशन

कोटेशन प्रस्तुत करें। मैं (कोटेशनदाता का नाम)

रेलवे स्टेशन पर स्थित सायकल/ स्कूटर/ मोटर

गये कोटेशन हेतु उपरोक्त स्टेशन के संचालक

(शब्दों में)

प्रशासन द्वारा दी गयी सभी शर्तों/ नियमों

आवेदक का नाम

हमें लाइक करें: [facebook.com/West](https://www.facebook.com/West)

4/1/429